



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

संख्या : - 178/52/गोपन/ए0आर0ओ0-14/2015-16

दिनांक : 19 सितम्बर, 2016

## विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी/अनुवादक/टाईपिस्ट/असिस्टेंट लाईब्रेरियन परीक्षा-2014 के अन्तर्गत दिनांक 04 जुलाई, 2016 को सहायक समीक्षा अधिकारी एवं दिनांक 05 जुलाई 2016 को टाईपिस्ट पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा तथा दिनांक 07 एवं 08 जुलाई, 2016 को आयोजित कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के आधार पर निम्नवत् अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता के आधार पर अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है-

### (1) सहायक समीक्षा अधिकारी

क्र० सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी/उपश्रेणी	अभ्युक्ति
1	502948	PALLAVI KAPOOR	GEN/UF	PROVISIONAL
2	500130	PARVEZ AHMAD	GEN/OBC	PROVISIONAL
3	501559	NIRUPAMA NAWANI	GEN/UF	PROVISIONAL
4	500190	PRINCE VERMA	GEN/OBC	PROVISIONAL
5	503368	SHILPA	GEN	PROVISIONAL
6	501692	HARISH KISHORE	GEN	PROVISIONAL
7	501859	ASHISH NEGI	GEN	PROVISIONAL
8	501389	NARENDRA SINGH KUNWAR	GEN/ST	PROVISIONAL
9	500325	CHHATRAPATI PANT	GEN	PROVISIONAL

नोट:- 1. सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु सामान्य श्रेणी के 09 पद, सामान्य/उ0महिला के 08 पद, सामान्य/पूर्व सैनिक के 02 पद, सामान्य/स्व0सं0से0आ0 का 01 पद, सामान्य/विकलांग

(ओ०एल०, बी०एल०, ओ०ए०) का ०१ पद, अनु०जाति के ०६ पद, अनु०जाति/उ०महिला के ०२ पद, अनु०जनजाति के ०२ पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के ०६ पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/उ०महिला के ०३ पद अर्थात् कुल ४० पद पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अग्रणीत किये गये हैं।

२. अनु०-५०२४५५ तथा अनु०-५०२४९३ का परिणाम मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर क्रमशः रिट याचिका संख्या १२९२ (एस/एस)/२०१६ में पारित अनन्तिम आदेश दिनांक ०१.०७.२०१६ तथा रिट याचिका संख्या ७६२ (एस/एस)/२०१६ में पारित अनन्तिम आदेश दिनांक ३०.०६.२०१६ के अधीन है।

## (२) टाईपिस्ट

क्र० सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी/ उपश्रेणी	अभ्युक्ति
१	५०१३१८	ANUSUYA SINGH RANA	GEN	PROVISIONAL
२	५०३४२४	MITHILESH KUMAR MATHPAL	GEN	PROVISIONAL
३	५०१६४६	VIJAY SINGH	GEN	PROVISIONAL
४	५००६९२	BHAIRAV GIRI GOSWAMI	GEN/OBC	-
५	५०१६००	AMIT KUMAR	SC	PROVISIONAL

**नोट:-** १. टाईपिस्ट पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का ०१ पद पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अग्रणीत किया जाता है।

**(३) अनुवादक एवं असिस्टेंट लाईब्रेरियन** पद हेतु कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनुवादक पद के सामान्य श्रेणी का ०३ पद, सामान्य/उ०महिला का ०१ पद, अनु०जाति का ०१ पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का ०१ पद अर्थात् कुल ०६ पद तथा असिस्टेंट लाईब्रेरियन पद के सामान्य श्रेणी का ०१ पद अग्रणीत किया गया है।

**नोट:-**

१. उक्त अन्तिम चयन परिणाम मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या ५२४ आफ २०१५ दीपक कुमार पाण्डे बनाम उ० लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या ५२५

आफ 2015 रितु पाण्डे बनाम उ0 लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 587 आफ 2015 पूजा अग्रवाल बनाम उ0 लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 525 आफ 2016 मनमोहन त्रिपाठी बनाम उ0 लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 759 आफ 2016 सावन कुमार बुढ़लाकोटी व अन्य बनाम उ0 लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 762 आफ 2016 अनूप रावत बनाम उ0 लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 1311 आफ 2016 गीता आर्य बनाम उ0 लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 1315 आफ 2016 राकेश चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय व अन्य, रिट याचिका संख्या 1292 आफ 2016 सुशील चन्द्र भट्ट बनाम उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय व अन्य, रिट याचिका संख्या 1310 आफ 2016 मो0 एजाज बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 1316 आफ 2016 विशाल राठौर बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 1317 आफ 2016 श्रीकान्त शर्मा बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 1293 आफ 2016 दीपक कुमार पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य एवं रिट याचिका संख्या 738 आफ 2016 कुलदीप सिंह पयाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य के अधीन घोषित किया गया है।

3. उक्त चयन परिणाम, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाईट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः अभ्यर्थी इस संबंध में पृथक से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत कोई अनुरोध पत्र प्रेषित न करें।

4. समस्त चयनित अभ्यर्थी, दिनांक: 21 सितम्बर, 2016 से 06 अक्टूबर, 2016 (कार्यालय अवधि प्रातःकाल 10.00 से अपराह्न 5.00 बजे तक) तक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में स्वयं उपस्थित होकर अपनी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं आरक्षण सम्बन्धी अभिलेखों इत्यादि का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। 06 अक्टूबर, 2016 के पश्चात् अभिलेखों का सत्यापन कदापि नहीं किया जाएगा।

(एस0एन0पाण्डे)

सचिव

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव/अपर निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण को मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक/संयुक्त सचिव/उप सचिव।

3. अनुभाग अधिकारी, परीक्षा अनुभाग-2
4. व्यवस्थाधिकारी को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी आई0टी0 अनुभाग को उक्त परीक्षाफल आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

सचिव